प्रेस विज्ञप्ति
14.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी (ने तमिलरासन कुप्पन) उम्र 29 वर्ष(, प्रकाश) उम्र 26 वर्ष(, अरविंदन) उम्र 23 वर्ष (और अजित) उम्र 28 वर्ष (को13 .09. 2024को तमिलनाडु के पल्लीपट्टू से2 . 6करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताकर साइबर जालसाज ने यह धोखाधड़ी की। चारों आरोपी फर्जी कंपनियां बनाने और बैंक खाते खोलने में शामिल थे ,जिसके जरिए साइबर घोटाले से प्राप्त अपराध की आय) पीओसी (को शोधित किया गया। माननीय विशेष न्यायालय ,बेंगलुरु ने इन चारों आरोपियों को 04 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा है। इसके अलावा ईडी ने फर्जी कंपनी मेसर्स साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये की पीओसी फ्रीज कर दी है।

ईडी ने विशेष अपराध एवं साइबर अपराध पुलिस ,जयपुर द्वारा दर्ज दिनांक03 .09.2024 की प्राथमिकी संख्या 330 सहित देश भर में विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की।

दिनांक03 .09.2024 की प्राथमिकी संख्या 330 में पीड़ित को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया जिसमें एक व्यक्ति बॉम्बे कस्टम ऑफिस से कॉल करने का दावा कर रहा था। कॉल के दौरान, पीड़ित को बताया गया कि पीड़ित के नाम से अवैध सामान विदेश भेजा जा रहा है। फिर पीड़ित को सुरक्षा के तौर पर 'फंड वैधीकरण' भुगतान करने का निर्देश दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित द्वारा कोई अवैध रूप से पैसा नहीं कमाया गया है। 'फंड वैधीकरण' की आड़ में धोखेबाजों द्वारा कॉल करने वाले द्वारा बताए गए तीन अलग-अलग खातों में तीन अलग-अलग किश्तों में कुल 2.16 करोड़ रुपये (लगभग) अंतरित करने के लिए कहा गया।

इसके बाद, एक व्यक्ति जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया, ने पीड़ित से मोबाइल फोन पर संपर्क किया। जालसाज लगातार दावा करता रहा कि वह सीबीआई अधिकारी है। इसके अलावा, पीड़ित को एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को डीसीपी दिल्ली पुलिस बताया और तथाकथित सीबीआई अधिकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कहा। तथाकथित सरकारी अधिकारियों के आग्रह पर, पीड़ित पर दबाव डाला गया और उसकी पूरी जीवनभर की बचत और निवेश की रकम, जो कि लगभग 2.16 करोड़ रुपये थी, हड़प ली गई।

ईडी द्वारा त्वरित कार्रवाई के माध्यम से, 12-09-2024 को शेल कंपनी मेसर्स साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बंधन बैंक खाते में **2.8 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी गई है, जिसमें पीड़ित द्वारा आय हस्तांतरित की गई थी** । इन शेल कंपनियों के बैंक खातों में लेन-देन से संबंधित पूरी प्रक्रिया और गतिविधियाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की गईं ,जिसमें तमिलारासन ,अजित ,अरविंदन ,प्रकाश के साथ-साथ चीनी घोटालेबाज सदस्य थे। जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक तमिलारासन बंधन बैंक में जमा 2.8 करोड़ रुपये की राशि को निकालने के लिए चीनी साइबर जालसाजों के संपर्क में था।

यह भी पता चला है कि तमिलारासन ,अजित ,प्रकाश ,अरविंदन फर्जी कंपनियों के गठन और इन फर्जी कंपनियों के बैंक खाते खोलने में सक्रिय रूप से शामिल थे ,जिनका इस्तेमाल विभिन्न साइबर धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को सफेद करने के लिए किया गया था। तमिलारासन ने अजित ,प्रकाश ,अरविंदन के साथ सक्रिय सहायता से फर्जी कंपनियों के गठन के लिए फर्जी निदेशकों ,पते और दस्तावेजों की व्यवस्था करने और खाते खोलने के लिए बैंक कर्मियों के साथ संपर्क करने में साइबर जालसाजों की सहायता करने के लिए एक सिंडिकेट चलाया ,जिसके माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को शोधित किया गया।

इससे पहले ईडी ने15 .08. 2024और21 .08. 2024को बेंगलुरु में शशि कुमार एम ,सचिन एम ,किरण एसके और चरण राज सी नामक 04 लोगों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अब तक विभिन्न परिसरों में 17 तलाशी ली गई हैं ,जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई है और बैंक खाते में2 . 8करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं। पीएमएलए ,2002 के तहत जांच में अब तक साइबर घोटाले से उत्पन्न **28 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी की पहचान की गई है।**

आगे की जांच जारी है।